न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 54/2023

प्रार्थी :– शैतानसिंह पुत्र केवलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी हाऊसिंग बोर्ड, माजीवाला तह. पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मानाराम पुत्र भोलाराम
2. मूलाराम पुत्र मांगाराम
3. भोपाराम पुत्र मांगाराम
4. हंजा पुत्री मांगाराम सभी जाति रबारी
5. जेठुसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुरोहित
6. जीनू कंवर पत्नी हितेशदान जाति चारण
7. दयाराम पुत्र राजुराम जाति पुरोहित
8. दोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति चौधरी
9. नेमाराम पुत्र मांगीलाल पुरोहित
10. पुनमाराम पुत्र राजुराम जाति पुरोहित
11. पुष्पाकंवर पत्नी हीरसिंह जाति चारण
12. पुष्पादेवी पत्नी केवलचन्द जाति माली
13. बाबुसिंह पुत्र नैनसिंह
14. भरतकुमार पुत्र मांगीलाल
15. भूराराम पुत्र राजुराम
16. भोमाराम पुत्र राजुराम
17. मदनलाल पुत्र मांगीलाल
18. मांगुसिंह पुत्र भीमसिंह सभी जाति पुरोहित
19. मोतीराम पुत्र दुर्गाराम जाति चौधरी
20. लेखराज पुत्र मंशाजी पुरोहित
21. वीरमाराम पुत्र दुर्गाराम जाति कलबी चौधरी
22. शंकरलाल पुत्र शिवलाल जाति पुरोहित
23. सुजाराम पुत्र दुर्गाराम जाति कलबी चौधरी
24. सुरजकंवर पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:24:23 IST
Reason: SelfAttested

25. सांवलराम पुत्र दुर्गाराम कलबी
26. सोहनदान पुत्र पृथ्वीदान जति पुरोहित
27. मालसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपुरोहित
28. हुआदेवी पत्नी दुर्गाराम जाति कलबी चौधरी सभी निवासी आसोतरा रोड, माजीवाला, तह0 पचपदरा।
29. राजस्थान आवासन मण्डल बालोतरा क्षेत्रिय कार्यालय खण्ड 11 सेक्टर 4, कुडी, भगतासी, जोधपुर ।
30. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा
31. आयुक्त/सभापति नगर परिषद बालोतरा
32. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपस्थित :–

01. श्री भूपेन्द्र गहलोत , प्रार्थी अधिवक्ता
02. विप्रार्थी संख्या –30 विभागीय प्रतिनिधि
03. श्री जेठूलाल लाल कुमावत – विप्रार्थी संख्या 31
04. श्री अचलाराम – विप्रार्थी संख्या 8,19 ता 21, 23, 25, 28
05. विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7, 9 ता 18, 22, 24 26, 27, 29 एक पक्षीय

<u>'आदेश'</u> दिनांक :– 05.06.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के मालिकाना की भूमि मौजा माजीवाला, पटवार क्षेत्र माजीवाल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आसोतरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 697 रकबा 1.1574 हैक्टयर (07.03 बीघा) व ख़सरा संख्या 1003/757 रक़बा 0.0809 हैक्टयर अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी [illegible] सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु [illegible] सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है और [illegible] को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि [illegible]की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:24:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या –30 विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 31 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 08, 19 ता 21, 23, 25, 28 के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 08, 19 ता 21, 23, 25, 28 के की और से जबाब पेश किया । विप्रार्थी संख्या 1 ता 7, 9 ता 18, 22, 24 26, 27, 29 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 ता 7, 9 ता 18, 22, 24 26, 27, 29 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी संख्या 30 के विभागीय प्रतिनिधि व 31 के वकील ने जबाब पेश हेतु अवसर देने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं किया है, इससे प्रतीत होता है की उक्त विप्रार्थी संख्या 30 व 31 पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु मौन स्वीकृति प्रतीत होती है । विप्रार्थी संख्या 8,19 ता 21, 23, 25, 28 के वकील ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

हमने उभय पक्षो की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की मौजा माजीवाला, पटवार क्षेत्र माजीवाल, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आसोतरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 697 रकबा 1.1574 हैक्टयर (07.03 बीघा) व खसरा संख्या 1003/757 रकबा 0.0809 हैक्टयर आई हुई है । जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 32 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मुमकिन मौजा माजीवाला, पटवार क्षेत्र माजीवाल, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आसोतरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 697 रकबा 1.1574 हैक्टयर (07.03 बीघा) व खसरा संख्या 1003/757 रकबा 0.0809 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:24:23 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा माजीवाला, पटवार क्षेत्र माजीवाल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आसोतरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 697 रकबा 1.1574 हैक्टयर (07.03 बीघा) व खसरा संख्या 1003/757 रकबा 0.0809 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2064–2067 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । प्रार्थी ने तहसीलदार से सीमाज्ञान का आदेश लेकर दिनांक 07/08/2013 को सीमाज्ञान भी करवाया, ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मुमकिन मौजा माजीवाला, पटवार क्षेत्र माजीवाल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आसोतरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 697 रकबा 1.1574 हैक्टयर (07.03 बीघा) व खसरा संख्या 1003/757 रकबा 0.0809 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 1500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो । सभी पक्षकारान व सरकारी विभाग को लिखित में दिनांक/समय सूचित कर कार्यवाही करेंगे।

विवेक व्यास

(विवेक व्यास)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:24:23 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 05.06.2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा